अध्याय 2
पूर्व राज्य वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की स्थिति

प्रथम राज्य वित्त आयोग

छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम वित्त आयोग का गठन दिनांक 22.08.2003 को किया गया था, इसका पुर्नगठन दिनांक 14 जुलाई 2004 को किया गया। आयोग ने अपना प्रतिवेदन मई 2007 में प्रस्तुत किया। प्रथम राज्य वित्त आयोग ने कुल 81 अनुशंसाएं की थी, इनमें से 36 अनुशंसाओं को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। 05 अनुशंसाएं कुछ संशोधन के साथ स्वीकार की गई। आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि राज्य सरकार के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 8.287% अंतरण स्थानीय निकायों को अधिनिर्णय अवधि वर्ष 2007-12 में किया जाए। परन्तु सरकार ने केवल 6% अंश अंतरित करना स्वीकार किया, जिसमें से 4.79% अंश पंचायती राज संस्थाओं एवं 1.21% अंश नगरीय स्थानीय निकायों के लिए था।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग

छत्तीसगढ़ राज्य के द्वितीय राज्य वित्त आयोग का गठन दिनांक 23.07.2011 को किया गया था, जिसका प्रतिवेदन मार्च 2013 में प्रस्तुत किया गया। द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने कुल 133 अनुशंसाएं की थी, इनमें से 103 अनुशंसाओं को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। (तालिका 2.1)

तालिका 2.1
अनुशंसाओं की स्थिति

विवरण	आयोग की अनुशंसा	शासन द्वारा स्वीकृत अनुशंसा	शासन द्वारा अस्वीकृत अनुशंसा
पंचायती राज संस्थाएं	60	47	13
नगरीय स्थानीय निकाय	62	46	16
अन्य	11	10	1
कुल	**133**	**103**	**30**

आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 8% अंतरण स्थानीय निकायों को अधिनिर्णय अवधि वर्ष 2012-17 में किया जाना था, जिसे शासन द्वारा स्वीकार किया गया। कुल अंतरण 8% में से 6.15% अंश पंचायती राज संस्थाओं एवं 1.85% अंश नगरीय स्थानीय निकायों का था।

आयोग का यह अवलोकन है कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधि एवं मैदानी अमले को, वित्त आयोगों की अनुशंसाओं की पूर्णतः जानकारी नहीं होती है एवं सभी स्तरों पर विश्वसनीय आँकड़ों का अभाव है। जिससे द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के प्रभावों का मूल्यांकन करने में कठिनाई हुई है।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय आबंटन

आयोग के द्वारा यह गणना की गई थी कि पंचायती राज संस्थाओं का हिस्सा 5 वर्षों में यथा- 2012 से 2017 के मध्य रू. 4,453.75 करोड़ होगा। (राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 6.15%)

आयोग के द्वारा यह भी अनुशंसा की गई थी कि जिलेवार पंचायती राज संस्थाओं को कोष के आबंटन का आधारः- जनसंख्या (अधिमान 60%), क्षेत्र (अधिमान 20%), अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या (अधिमान 10%) और गरीबी रेखा के नीचे के परिवार (अधिमान 10%) होगा।

राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को कोषों का आबंटन ग्राम पंचायत को 85%, जनपद पंचायत को 10% एवं जिला पंचायत को 5% किए जाने की अनुशंसा की गई थी। यद्यपि शासन द्वारा कृत कार्यवाही प्रतिवेदन (जुलाई 2013) के अनुसार ग्राम पंचायत को 90%, जनपद पंचायत को 5% एवं जिला पंचायत को 5% का आबंटन स्वीकार किया गया।

राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से वर्ष 2014 से 18 के लिए पंचायती राज संस्थाओं को राजस्व अंतरण मद में रू. 3,941.00 करोड़ एवं समनुदेशित राजस्व मद में रू. 1,459.96 करोड़ प्राप्त हुए। (तालिका 2.2)

तालिका 2.2

वर्ष 2014-18 के मध्य द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायती राज संस्थाओं को अंतरण

(करोड़ रू. में)

योजना का नाम/वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	योग
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अंतरण					
ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यों हेतु अनुदान	300.00	300.00	300.00	200.00	**1100.00**
मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना	300.00	600.00	570.00	360.00	**1830.00**
मुख्यमंत्री जनपद सशक्तिकरण योजना	146.00	0.00	0.00	0.00	**146.00**
मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना	0.00	92.00	0.00	1.00	**93.00**
छ.ग. राज्य क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्राधिकरण	52.00	52.00	52.00	62.00	**218.00**
मिनी स्टेडियम	0.00	46.00	0.00	0.00	**46.00**
ईटीसी/पीटीसी का सशक्तिकरण	0.00	10.00	0.00	0.00	**10.00**
ई-पंचायत	0.00	10.00	0.00	0.00	**10.00**
जिला/ग्राम पंचायत में वैकल्पिक भवन व्यवस्था	0.00	10.00	0.00	0.00	**10.00**
गांव की गलियों का आंतरिक विद्युतीकरण	0.00	0.00	50.00	50.00	**100.00**
सचिवीय व्यवस्था	0.00	0.00	90.00	95.00	**185.00**
पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता - विकास	0.00	0.00	15.00	15.00	**30.00**
जिला पंचायत विकास निधि	0.00	0.00	45.00	45.00	**90.00**
जनपद पंचायत विकास निधि	0.00	0.00	0.00	73.00	**73.00**
योग	**798.00**	**1120.00**	**1122.00**	**901.00**	**3941.00**
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समनुदेशित राजस्व अंतरण					
अधोसंरचना विकास निधि से बजट प्रावधान	60.00	125.40	55.29	125.40	366.09
गौंण खनिज की रायल्टी से अनुदान	149.00	250.00	235.35	226.42	860.77
स्टाम्प और पंजीयन शुल्क से अनुदान	45.00	50.00	60.00	65.00	220.00
मनोरंजन कर से अनुदान	3.00	3.30	3.30	3.50	13.10
योग	**257.00**	**428.70**	**353.94**	**420.32**	**1459.96**

स्रोतः पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा अनुदान के उपयोग की स्थिति

पंचायती राज संस्थाओं को द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से कोषों की प्राप्ति हुई है, परन्तु यह स्पष्ट है कि यह आबद्ध अनुदान है, जबकि आयोग की अनुशंसा अनाबद्ध अनुदान की थी। पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों से चर्चा से यह ज्ञात हुआ कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के

आधार पर उन्हें कोषों के अंतरण से विभिन्न मूलभूत कार्यों जैसे- पेयजल प्रदाय, ई-सेवा केन्द्रों का विकास आदि कार्यों को किए जाने में सहायता मिली है ।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित 60 अनुशंसाएं की थी, जिनमें से 47 अनुशंसाओं को राज्य शासन ने स्वीकार किया। राज्य शासन द्वारा संबंधित विभागों को इन अनुशंसाओं पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। मान्य अनुशंसाएं निम्नानुसार हैं :-

अनुशंसाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की स्थिति

क्र.	कंडिका क्रमांक	अनुशंसा	कार्यवाही
	पंचायत कृत्यों का अंतरण		
1.	5.5	राज्य सरकार को ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के वर्तमान क्षेत्राधिकारों का पुनरीक्षण एवं उनकी भूमिका को स्पष्ट रूप से पुनः परिभाषित करने पर विचार करना चाहिये।	तीनों स्तर की पंचायतों को अधिनियम की धारा 49, 50 एवं 52 के अनुसार कार्य दायित्व सौंपे गए हैं। इस तंत्र में ग्राम पंचायत क्रियान्वयन एजेंसी, जनपद पंचायत प्रशासनिक इकाई (मॉनिटरिंग इकाई) एवं जिला पंचायत प्रशासनिक एवं पंचायतों के समन्वयक तथा नियंत्रक संस्था के रूप में कार्य कर रही है। उनकी भूमिका को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है।
2.	6.8 एवं 6.10	क्षेत्रफल, जनसंख्या, संसाधन, कर्मचारी, सामर्थ्य तथा स्थानीय आवश्यकताओं में विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित ग्राम पंचायतों एवं शेष ग्राम पंचायतों को विभिन्न विभागों द्वारा कृत्यों के अंतरण संबंधी पुनरीक्षित प्रस्ताव बनाने हेतु एक समिति का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया जाना चाहिए।	छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 9-41/2016/1/5, दिनांक 04.10.2016 द्वारा समिति गठित की गई है।
	पंचायतों के वित्तीय संसाधन		
3.	7.4	प्रथम वित्त आयोग ने सम्पत्ति कर के लिये पूंजीगत मूल्य के बजाय वर्गीकृत कुर्सी (plinth) क्षेत्रफल को आधार बनाये जाने की जो अनुशंसा की थी, उसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए।	पंचायत राज अधिनियम की संबंधित धारा 77 एवं उसकी अनुसूची में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
4.	7.4	वर्गीकृत कुर्सी क्षेत्रफल के आधार पर प्रत्येक सम्पत्ति पर कर देयता निश्चित करने तथा ग्राम पंचायतों में मांग पंजी बनाने का काम कार्यरत आन्तरिक अंकेक्षण तथा करारोपण अधिकारियों को सौंपा जाए। इन अधिकारियों द्वारा 25 अथवा अधिक ग्राम पंचायतों में यह कार्य एक वर्ष में पूरा करने हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को समुचित कार्य योजना बनानी चाहिए।	शासन के पत्र क्रमांक/295/ऑडिट/2012-13 दिनांक 07.06.2012 एवं पत्र क्रमांक/418, दिनांक 30.09.2012 द्वारा आन्तरिक अंकेक्षण तथा करारोपण अधिकारियों को करारोपण का कार्य सौंपा गया है।
5.	7.4	सम्पत्ति कर की बेहतर वसूली हेतु प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जाए। प्रति वर्ष 75 प्रतिशत या अधिक सम्पत्ति कर वसूल करने वाली ग्राम पंचायतों को वसूली राशि का	14वें वित्त आयोग में कर की वसूली के आधार पर कार्य निष्पादन अनुदान की राशि का निर्धारण किए जाने का प्रावधान है। इस संबंध में राज्य द्वारा अधिसूचना एवं समुचित निर्देश जारी किए गए हैं।

		समतुल्य अनुदान दिया जाए। न्यूनतम 75 प्रतिशत बकाया सम्पत्ति कर वसूलने वाली ग्राम पंचायत को भी समतुल्य अनुदान देना चाहिए।	
6.	7.4	ग्राम पंचायतों के कर संबंधी प्रथम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वन का अध्ययन करने हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन एक निश्चित समय में प्रस्तुत करना चाहिए और इसके साथ पंचायत अधिनियम में आवश्यक संशोधन भी यथाशीघ्र किया जाना चाहिए।	आवश्यकतानुसार समय-समय पर पंचायत राज अधिनियम में संशोधन किया जाता है।
7.	7.5	निजी शौचालयों पर लगाया जाने वाला कर समाप्त किया जाए। ग्रामीणों को स्वच्छ शौचालयों का उपयोग करने हेतु प्रेरित व प्रोत्साहित किया जाए।	ग्राम पंचायत द्वारा शौचालय कर का अधिरोपण एवं वसूली नहीं की जाती है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छ शौचालय निर्मित कर उसका उपयोग करने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है।
8.	7.8	बाजार शुल्क की दरों का वास्तविक निर्धारण करने हेतु पंचायतों के बाजार में बिकने वाली चीजों को अधिक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाये तथा श्रेणीवार अलग-अलग दरें निर्धारित की जावे। इसकी वसूली का काम ठेके पर दिया जाए।	बाजार शुल्क की दरों के निर्धारण हेतु बाजार में बिकने वाली चीजों की अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना प्रासंगिक नहीं है। इसके स्थान पर उपयोग करने वालों से, कुर्सी क्षेत्रफल के आधार पर दरें निर्धारित करने हेतु समेकित कर एवं शुल्क में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पंचायतों के बाजार दो श्रेणी में वर्गीकृत है 1. साप्ताहिक बाजार 2. मवेशी बाजार। दोनों बाजारों की दरें अलग-अलग है। ग्रामसभा से अनुमोदन के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा वसूली की एजेंसी तथा प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।
9.	7.9	पंचायतों के बाजार में पशुओं की बिक्री के पंजीयन की वर्तमान न्यूनतम व अधिकतम दरें लगभग 15 वर्ष पूर्व निर्धारित की गई थी। इन दरों को पुनरीक्षित किया जाना चाहिये।	पशुओं की बिक्री के पंजीयन की वर्तमान दरों में वृद्धि करने हेतु समेकित कर एवं शुल्क में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
10.	7.10	प्रथम राज्य वित्त आयोग के सुझाव अनुसार सभी चलचित्र प्रदर्शनों पर कर लगाने और वसूलने का काम जनपद पंचायतों को तथा गैर चलचित्र प्रदर्शनों, खेल-तमाशों पर कर लगाने का दायित्व ग्राम पंचायतों को सौंपे जाने हेतु संबंधित अधिनियम और नियमों में आवश्यक संशोधन कर इसे प्रभावशील किया जाए।	वर्तमान आधुनिक तकनीकी परिवेश में ग्रामीण क्षेत्र में भी टेलीविजन, कम्प्यूटर, मोबाईल आदि प्रचलित होने के कारण यह सुझाव प्रासंगिक नहीं रह गया है।
11.	7.31	ग्राम पंचायतों के करों की दरें दशकों पूर्व निर्धारित की गई थी। अब समय आ गया है, इन्हें पुनरीक्षित किया जाये। नियमों में न्यूनतम और अधिकतम दरों में वृद्धि की जानी चाहिये।	कर की दरों में संशोधन संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
12.	7.31	वैकल्पिक करों/शुल्क लगाने के लिये ग्राम पंचायतों को जनपद पंचायतों से और जनपद पंचायतों को जिला पंचायत से अनुमोदन लेने की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। संबंधित अधिनियम में यह प्रावधान समाप्त कर दिया जाना उपयुक्त होगा।	पंचायत राज अधिनियम में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

13.	7.31	पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सुझाव अनुसार मछली पालन वाले तालाबों के पट्टे की प्रारंभिक राशि में वृद्धि की जाये तथा तालाबों की औसत उत्पादकता के आधार पर पट्टे की राशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाये। यदि इन तालाबों की नीलामी की अनुमति दी जाये तो ये पंचायतों के लिये अधिक राजस्व के प्रमुख स्त्रोत हो सकते हैं। यदि यह संभव नहीं हो तो विभाग द्वारा प्रस्तावित पट्टे की राशि में वृद्धि किया जाना उचित होगा।	*विभागीय प्रस्ताव पर समन्वय में यह निर्णय लिया गया कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अवधि 2012-17 समाप्ति पर है, अतः नये वित्त आयोग के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर विचार किया जाए।*
14.	7.31	नगर पालिकाओं के समान ग्राम पंचायतों के अनिवार्य एवं वैकल्पिक करों का युक्तियुक्तकरण किया जाए। प्रकाश कर, सामान्य जल प्रदाय कर, मल वाहन कर (सार्वजनिक शौचालयों तथा मल उठाव पर वैकल्पिक कर) को जोड़कर एक निश्चित प्रतिशत को सम्पत्ति कर का भाग बनाया जाए। संचालक, पंचायत की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के मुद्दों में यह मुद्दा भी जोड़ा जाए।	ग्राम पंचायतों के अनिवार्य एवं वैकल्पिक करों का युक्तिकरण कर तथा विभिन्न करों को एकीकृत करते हुए समेकित कर एवं शुल्क के रूप में संशोधन करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
15.	7.31	विभिन्न प्रकार के करों की मांग निर्धारित करने, मांग पंजी बनाने, वसूली की प्रक्रिया तथा कर प्राप्ति का ठीक से हिसाब-किताब रखने के संबंध में विस्तृत अनुदेश जारी किये जाए।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 295/पंग्राविवि/ऑडिट/ 2012-13, दिनांक 07.06.2013 एवं क्रमांक/पंग्राविवि/22/2015/418, दिनांक 30.06.2015 द्वारा अभिलेख संधारण हेतु विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।
16.	7.31	आंतरिक अंकेक्षण तथा करारोपण सहायकों तथा आंतरिक अंकेक्षण एवं करारोपण अधिकारियों को ग्राम पंचायतों की मांग पंजी बनाने तथा कर एवं कर की वसूली में मदद का दायित्व दिया जाए।	छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 295/पंग्राविवि/ऑडिट/ 2012-13, दिनांक 07.06.2013 द्वारा आंतरिक अंकेक्षण तथा करारोपण सहायकों और आंतरिक अंकेक्षण एवं करारोपण अधिकारियों को ग्राम पंचायतों की मांग पंजी बनाने तथा कर एवं गैर कर की वसूली में मदद का दायित्व सौंपा गया।
17.	7.31	कर वसूली का काम महिलाओं के स्व-सहायता समूहों के माध्यम से कराया जाए। इसके बदले में वसूली राशि का एक भाग उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाए। राजनांदगांव जैसे जिलों में, जहां स्व-सहायता समूह सक्रिय और सशक्त है, प्रयोग के आधार पर प्रारंभ किया जाए।	महिला स्व-सहायता समूह से कार्य कराने हेतु पंचायत संचालनालय के पत्र क्रमांक पंचा./2016/628 दिनांक 21.10.2016 द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।
18.	7.31	ग्राम पंचायतों द्वारा करों की वसूली को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। आंतरिक प्रतिवेदन में भी यह अनुशंसा है कि ग्राम पंचायत द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत या उससे अधिक कर संग्रह करने पर उसे अधिक वसूल की गई राशि के समतुल्य प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाये। यह प्रोत्साहन योजना अधिनिर्णय अवधि (अवार्ड पीरियड) के सभी पांच वर्षों में लागू की	14वें वित्त आयोग में कर की वसूली के आधार पर कार्य निष्पादन अनुदान की राशि का निर्धारण किए जाने का प्रावधान है। इस संबंध में राज्य द्वारा अधिसूचना एवं समुचित निर्देश जारी किए गए हैं।

		जाए। हमारी यह भी अनुशंसा है कि पंचायत सचिव या पटेल अथवा अधिक राजस्व वसूल करने वाले किसी अन्य कर्मचारी को भी पुरस्कृत किया जाये।	
19.	7.31	सभी ग्राम पंचायतों में अपने भवनों, तालाबों तथा भूमि आदि परिसम्पत्तियों की सूची रखना तथा प्रत्येक तीन वर्ष में उसे अद्यतन किया जाना अनिवार्य किया जाये। इन परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिये ग्राम पंचायतों को अपने वार्षिक बजट में समुचित प्रावधान करना चाहिए।	ग्राम पंचायतों के द्वारा अपने भवनों, तालाबों तथा भूमि आदि परिसम्पत्तियों को ई-पंचायत प्रणाली के अंतर्गत सूचीबद्ध किया जा रहा है। परिसम्पत्तियों के रख-रखाव हेतु ग्राम पंचायतों को मूलभूत की अनुदान राशि आबंटित करने का प्रावधान है।
20.	8.4	राज्य सरकार उन जिलों में, जहां प्रमुख खनिज नहीं पाये जाते हैं, खनिकर्म निरीक्षकों की सेवायें जिला पंचायतों के अधीन किये जाने पर विचार करें, जिससे उन जिलों में गौण खजिनों के उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण तथा रायल्टी की समुचित उगाही सुनिश्चित की जा सके। यदि किसी ग्राम पंचायत से पट्टे पर दिये गये खदान से गौण खनिज के अधिक उत्खनन अथवा अवैध उत्खनन की रिपोर्ट मिलती है, तो संबंधित ग्राम पंचायत से समन्वय स्थापित कर ऐसे मामलों में तेजी से कार्यवाही की जानी चाहिए।	खनि निरीक्षकों द्वारा किया जाने वाला कार्य तकनीकी है एवं उनके लिए निर्धारित कर्तव्य सूची का संपादन संचालक/कलेक्टर के मार्गदर्शन में ही सम्पन्न किया जा सकता है। अतः खनि निरीक्षकों को पंचायत विभाग के अधीन किए जाने के प्रस्ताव से खनिज संसाधन विभाग सहमत नहीं है।
21.	8.4	कृषि उपज मंडियों द्वारा लगाये गये मंडी कर का कुछ भाग उस क्षेत्र की ग्राम पंचायत को दिया जाये। यदि आवश्यक हो तो मंडी अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए।	विभागीय स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
22.	8.8	सरकार को पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता तथा नाली निकासी, सार्वजनिक स्थानों में प्रकाश व्यवस्था, आंतरिक सड़कों का अनुरक्षण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी उन बुनियादी/प्राथमिक सेवाओं को चिन्हित करना चाहिए। मूलभूत अनुदान के दिशा निर्देश का पुनरीक्षण किया जाये और उन प्रयोजनों का वरीयता क्रम निर्धारित किया जाये जिनके लिये इस कोष का उपयोग किया जा सकता है।	14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त अनुदान राशि के उपयोग हेतु मूलभूत नागरिक सुविधाओं को चिन्हित कर उन पर व्यय करने के निर्देश ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य मूलभूत नागरिक सुविधाएं सम्मिलित है। ग्राम पंचायतों को मूलभूत अनुदान अंतर्गत आबंटित राशि के समुचित व्यय के संबंध में पुनरीक्षित दिशा-निर्देश जारी किये गये है।
23.	8.11	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अधीन ग्राम पंचायतों को देय अनुदान की राशि दो समान किश्तों में जहां तक संभव हो, अप्रैल और अक्टूबर माह में दी जानी चाहिये।	पंचायतों को अनुदान राशि वित्त विभाग के निर्देशानुसार किश्तों में दी जाती है।
24.	8.14	राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के लिये ही उद्दिष्ट केन्द्रीय योजना राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान का पूरा लाभ उठाना चाहिये। सौभाग्यवश इस योजना के कोष से लाभ उठाने के लिये हम सभी शर्तों को पूरा करते हैं।	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान योजना समाप्त हो चुकी है।

25.	8.16	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा नल-जल योजना के लिये दिये जाने वाले अनुदान को जनशक्ति और सामग्रियों की लागत में हो रही वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में प्रति दो वर्षों के अंतराल में पुनरीक्षित करके बढ़ाया जाये। इस अनुदान की राशि का आबंटन साल में दो बार अर्थात् अप्रैल और अक्टूबर के माह में किया जाना चाहिये।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
26.	8.16	ग्राम पंचायतों को अपनी सीमित वित्त व्यवस्था में से कोई राशि विभिन्न कार्यक्रमों, समारोहों में खर्च नहीं करना चाहिये। जन समस्या निवारण शिविर, ग्राम सम्पर्क अभियान (ग्राम सुराज) आदि जैसे शासन प्रायोजित कार्यक्रमों के लिये जिला पंचायतों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को धनराशि आबंटित करने के विषय में सरकार को विचार करना चाहिये।	ग्राम पंचायतों को जनसमस्या निवारण शिविर, ग्राम सुराज अभियान, निर्माण कार्यों के शिलान्यास, लोकार्पण, भूमिपूजन, मंत्री कार्यक्रम, स्थानीय उत्सव पर मूलभूत कार्यों के अनुदान मद से व्यय करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
27.	8.16	छोटे उद्योगों का सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहन कोष केवल स्थानीय ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिये एवं बड़े उद्योगों के कोष से समीपवर्ती ग्राम पंचायतों को भी हिस्सा दिया जाए। अपने इस कोष की योजना बनाने में ग्राम पंचायतों से सलाह लेना उद्योगों के लिये अनिवार्य होना चाहिए। राज्य सरकार को अपनी सी.एस.आर. नीति में इन सुझावों को शामिल करना चाहिये।	कार्यवाही अपेक्षित है।
28.	8.17	प्रमुख खनिजों पर मिलने वाली रायल्टी का कुछ अंश राज्य सरकार उन ग्राम पंचायतों को देने पर विचार करें जो उत्खनन कार्य से प्रभावित है।	(1) प्रदेश को प्राप्त होने वाले खनिज राजस्व के 5% के समतुल्य राशि खनिज विकास निधि में अंतरित किए जाने का प्रावधान छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि अधिनियम, 2003 में किया गया है। गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व की राशि गौण खनिजों के उत्खनन से प्रभावित पंचायतों को वितरित किए जाने बाबत् प्रावधान किया गया है जो पर्याप्त प्रतीत होता है। (2) इसके अतिरिक्त एमएमडीआर एक्ट 1957 में केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 12.03.2015 में किए गए संशोधन के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है, जिससे मुख्य एवं गौण खनिज पट्टाधारियों द्वारा रायल्टी के अतिरिक्त एवं निश्चित राशि उक्त खनिज विकास संस्थान न्यास में जमा कराई जावेगी, जिसका उपयोग खनन से प्रभावित क्षेत्रों में किया जावेगा। (3) कम्पनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत भी खनि पट्टेधारी कम्पनियों द्वारा सी.एस.आर. मद में खनन प्रभावित लोगों के सामाजिक आर्थिक एवं अधोसंरचना विकास कार्यों में निर्धारित राशि खर्च की जाती है। अतः रायल्टी राजस्व का पृथक से कोई अंश देने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।
29.	8.20	एजेन्सी कृत्यों के लिये कमीशन की दर में वृद्धि की जाये। प्रथम राज्य वित्त आयोग ने एजेंसी कमीशन की दर न्यूनतम 3 प्रतिशत	भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन एजेंसी (ग्राम पंचायत) को 3% की दर से कमीशन की राशि प्रावधानित करने अनुरोध किया गया है।

		किये जाने की अनुशंसा की थी। हम इसका समर्थन करते हैं। यह मामला भारत सरकार के सामने उठाया जाना चाहिये।	
30.	8.23	ग्राम पंचायतों को विभिन्न स्त्रोतों से कोष की प्राप्ति होती है, जिनमें से कई कोषों का उद्देश्य एक समान होता है। इनका सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिये इन कोषों का अभिमुखीकरण (Convergance) जरूरी है और यह कार्य जिला स्तर पर ही उचित ढंग से हो सकता है।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्य विशेष को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले राशि का उपयोग अभिमुखीकरण (Convergance) से किया जा रहा है।
	पंचायतों का व्यय		
31.	9.6 एवं 10.12	ग्राम स्तर पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं को चिन्हित कर इन सुविधाओं के स्तर और समय सीमा भी निर्धारित होना चाहिये। इस प्रयोजन हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाये तथा मूलभूत सेवाओं के लिये प्रावधानित राशि का उपयोग इन सेवाओं पर ही किया जाये।	14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त अनुदान राशि के उपयोग को ध्यान में रखकर ग्राम स्तर पर उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं को चिन्हित किया जा चुका है और योजना के तहत प्राप्त आबंटन का उपयोग इन्हीं सेवाओं पर किए जाने के निर्देश प्रसारित किए गए हैं। इस संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश दिनांक 17.02.2016 द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रमीण विकास विभाग की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय पंचायत एवं प्लानिंग एक्सपर्ट ग्रुप का गठन भी किया जा चुका है।
32.	10.3	ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित एवं उचित रूप से लेखे ग्राम सभा को आसानी से उपलब्ध हो। ग्राम पंचायतों की आय और व्यय की स्थिति का समय-समय पर पुनरीक्षण हो तथा इसे ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाये जिससे वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।	ग्राम पंचायत के आय-व्यय का अनुमोदन नियमित रूप से ग्राम सभा में किया जाता है।
33.	10.7	स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग पंचायती राज स्संथाओं विशेषकर ग्राम पंचायतों, जिनकी संख्या बहुत है तथा नगरीय स्थानीय निकायों का अंकेक्षण वर्तमान में स्वीकृत एवं उपलब्ध सीमित अमले से करने में समर्थ नहीं है। अतएव इस संस्था के स्वीकृत विभागीय ढांचे का पुनरीक्षण करके समयबद्ध तरीके से इसे मजबूत किया जाना आवश्यक है।	संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा नवीन पदों के सृजन का प्रस्ताव दिया गया है। वित्त विभाग में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
34.	10.7	अंकेक्षण के पुराने बकाया मामलों को निपटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाये जिसमें आंतरिक अंकेक्षण तथा करारोपण अधिकारी सांविधिक अंकेक्षकों की सहायता करें। इसके लिये स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवायें ली जा सकती है।	संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा के इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाएं लिए जाने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।
35.	10.7	राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय में पंचायतों के अंकेक्षण के लिए अलग से एक अनुभाग बनाये जाने पर विचार किया जाये।	स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय में पंचायत अनुभाग बनाने हेतु वित्त विभाग के आदेश दिनांक 04. 10.2016 द्वारा 20 पदों का सृजन किया जा चुका है।

36.	10.7	पंचायत अंकेक्षकों के संवर्ग का स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय में संविलयन किया जाना उचित होगा।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से कार्यवाही विवरण एवं जानकारी अप्राप्त।
37.	10.7	पंचायत कोष के घपलों अथवा गबन आदि के कारण पंचायत कर्मचारियों या कृत्यकारियों की ओर पंचायतों की जो कानून सम्मत देनदारी बकाया है, उसकी वसूली शीघ्रता से की जानी चाहिये। इस प्रकार वसूली का पूर्ण अधिकार पंचायत अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी को होना चाहिये ताकि यह अधिक प्रभावी हो।	शीघ्रता से वसूली करने हेतु समस्त कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है।
38.	10.7	राज्य सरकार स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग को अंकेक्षण कार्य में तकनीकी मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण प्रदान करने हेतु भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से सक्रियता पूर्वक पहल करें तथा उनसे स्थानीय निकायों का 'टेस्ट आडिट' भी कराया जाना है।	पूर्व में तकनीकी दिशा निर्देश एवं पर्यवेक्षण संबंधी शासनादेश दिनांक 24.10.2011 राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है। महालेखाकार द्वारा स्थानीय निधि संपरीक्षा अमले को प्रथम चरण का प्रशिक्षण भी दिया गया है। उनके द्वारा स्थानीय निकायों का टेस्ट आडिट भी कराया जा रहा है।
39.	10.9	ग्राम पंचायतों में शीघ्र ही एक लेखापाल सह कम्प्यूटर आपरेटर, एक सहायक तथा बड़ी पंचायतों में एक तकनीकी कर्मचारी की आवश्यकता है, जो सेवा के अनुरक्षण आदि का देखभाल करें। इसका एक विकल्प यह भी हो सकता है कि कई ग्राम पंचायतों के समहू के लिये एक योग्यता प्राप्त तकनीकी सहायक नियुक्त किया जाये जो संबंधित जनपद पंचायत के अधीन रहे। इस प्रयोजना के लिये राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान योजना का लाभ लिया जा सकता है।	ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान योजना के अंतर्गत 7043 डाटा-एन्ट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की गई थी, किन्तु अब यह योजना समाप्त हो चुकी है। ग्राम पंचायतों में विलेज लेव्हल इंटरप्रोनियोर की नियुक्ति की गई है, जो कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्य के साथ-साथ पंचायत के द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं को क्रियान्वित करने का कार्य करेंगे।
40.	10.10	सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास संस्थान और खण्ड स्तरीय संस्थाओं को प्रशिक्षण अधोसंरचना की दृष्टि से मजबूत बनाया जाए। जिला पंचायतों को केवल तकनीकी सहायता तथा प्रशिक्षण सामग्री आदि प्रयोजनों के लिए निचले स्तर के प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए 'स्त्रोत केन्द्र' होना चाहिए। प्रशिक्षकों के लिये विशेष प्रोत्साहन राशि का प्रावधान हो, जिसमें प्रशिक्षण देने के लिये सक्षम अधिकारी उपलब्ध हो सके।	विभाग के अंतर्गत राज्य स्तरीय एक शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, 6 - क्षेत्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, 21 - जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर एवं 146 - ब्लाक पंचायत रिसोर्स सेंटर की स्थापना, पंचायत पदाधिकारियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए की गई है।
41.	10.11	वर्तमान में सभी ग्राम पंचायतों को उनकी भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, विशिष्टता एवं संसाधन आधार पर ध्यान दिये बिना सांविधिक एवं अभिकर्ता कार्यों के संपादन के लिए एवं राजस्व उगाही की क्षमता के दृष्टि से एक बराबर माना जाता है। इस समय आदिवासी क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत गैर आदिवासी क्षेत्र की पंचायत के समतुल्य मानी	पंचायतों को वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार 60 प्रतिशत जनसंख्या, 20 प्रतिशत क्षेत्रफल, 10 प्रतिशत अजा/अजजा जनसंख्या एवं 10 प्रतिशत बी.पी.एल. के आधार पर आबंटन किया जा रहा है।

		जाती है। ग्राम पंचायतों को कर्मचारी व्यवस्था एवं साथ ही वित्तीय एवं कृत्यों के अंतरण के लिए उनके क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा राजस्व के आधार पर दो तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।	
42.	10.15	प्रत्येक जिले में उक्त जिले की सभी ग्राम पंचायतों के विषय में विस्तृत डाटा बैंक रखा जाये तथा इसे सभी जिला पंचायतों के लिए अनिवार्य कर्तव्य बना दिया जाये। इसके लिये जिला पंचायतों को आवश्यक कर्मचारी, उपकरण और धनराशि उपलब्ध कराया जाये। जिला पंचायतों को प्रदत्त राशि का उपयोग केवल इसी प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए।	ई-पंचायत सॉफ्टवेयर के विभिन्न मॉड्यूल के द्वारा वार्षिक कार्य योजना, जीपीडीपी कार्य योजना, आय-व्यय, अचल सम्पत्ति, भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रोफाईल, भौतिक एवं वित्तीय मॉनिटरिंग, पंचायतों की मौलिक जानकारी, जन्म एवं मृत्यु, विवाह पंजीयन आदि की जानकारी जिला स्तर पर संधारित की जा रही है।
43.	18.11	उक्त कोष में से पंचायती राज संस्थाओं को धनराशि का जिलेवार आबंटन जनसंख्या (मानदंड भार-60 प्रतिशत) क्षेत्रफल (20 प्रतिशत) अनु.जाति/अनु.जनजाति जनसंख्या (10 प्रतिशत) तथा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की संख्या (10 प्रतिशत) के आधार पर किया जाएगा।	अनुशंसा अनुरूप मानदण्ड आधारित आबंटन किया गया है।
44.	18.13	पंचायतों के तीनों स्तरों के बीच जिलेवार वितरण ग्राम पंचायतों को 85 प्रतिशत, जनपद पंचायतों को 10 प्रतिशत तथा जिला पंचायतों को 05 प्रतिशत के हिसाब से होगा। हमारे अंतरिम प्रतिवेदन में जनपद पंचायत का भाग 12 प्रतिशत था जिसे घटाकर 10 प्रतिशत किया गया है और जिला पंचायत का भाग 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। तद्नुसार उपर्युक्त 5 वर्षों की अवधि में ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों तथा जिला पंचायतों के हिस्से में क्रमशः रूपये 3785.68 करोड़, रूपये 458.68 करोड़ तथा रूपये 209.37 करोड़ की राशि आयेगी।	पंचायती राज संस्थाओं के बीच जिलेवार आबंटन ग्राम पंचायतों को 90 प्रतिशत, जनपद पंचायतों को 5 प्रतिशत तथा जिला पंचायतों को 5 प्रतिशत के हिसाब से किया गया है।
45.	18.15	अंतरिम प्रतिवेदन में यह अनुशंसा की गई थी कि पंचायती राज संस्थाओं का हस्तांतरण के लिए प्रस्तावित कर राशि में से दो-दो लाख रूपयों की राशि पेसा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत को दी जाए। अधिनिर्णय अवधि के शेष चार वर्षों में भी उपरोक्त ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार द्वारा दो-दो लाख रूपयों का सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए ताकि ग्राम पंचायतों को मिलने वाली राशि बहुत कम नहीं हो।	अनुशंसा को अधिनिर्णय अवधि (वर्ष 2012-17) के लिए मान्य किया गया है।
46.	18.17	जनपद पंचायतों को आबंटित कोष का उपयोग ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता देने, तथा "पंच" स्तरीय सशक्तिकरण के	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से कार्यवाही विवरण एवं जानकारी अप्राप्त।

		लिए किया जाए। जनपद पंचायतों की परिसम्पत्तियों का अनुसरण भी इसी कोष से किया जाए। जिला पंचायतें, जिन्हें बड़ी धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है, उनके द्वारा अपने आबंटन का उपयोग (1) जिला पंचायत डाटा बैंक की स्थापना (2) परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण (3) पंचायती राज संस्थाओं/ कार्यक्रमों से संबंधित पुस्तिकाओं के प्रकाशन और (4) ग्रामीण विकास के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों की योजनाओं से जो छूट गई है ऐसी योजना बनाने एवं उनके लिये धनराशि की व्यवस्था करने के लिये किया जाये।	
47.	19.2	अगले चार वर्षों (2013-17) के दौरान अनुसूची पाँच के क्षेत्रों की 4607 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्रामीण अधोसंरचना के लिए प्रति वर्ष 02-02 लाख रूपयों का सहायता अनुदान दिया जाए, क्योंकि इन गांवों में इनका नितांत अभाव है।	अनुशंसा को अधिनिर्णय अवधि (वर्ष 2012-17) के लिए मान्य किया गया है।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय नगरीय निकायों को वित्तीय आबंटन

नगरीय स्थानीय निकायों को समनुदेशित राजस्व व अनुदान में वृद्धि तथा स्वयं के राजस्व को व्यवस्थित कर उनकी वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने अनेक अनुशंसाएं की हैं। साथ ही आयोग ने नगरीय प्रशासन के सुधार के लिए भी अनुशंसाएं की हैं।

आयोग के द्वारा यह गणना की गई थी कि नगरीय स्थानीय निकाय का हिस्सा 5 वर्षों में यथा- 2012 से 2017 के मध्य रू. 1,339.75 करोड़ होगा। (राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 1.85%)

आयोग के द्वारा यह भी अनुशंसा की गई थी कि नगरीय स्थानीय निकायों को कोषों के आबंटन का आधारः- जनसंख्या (नगर पालिक निगम एवं नगर पालिकाएं - अधिमान 70%, नगर पंचायत - अधिमान 80%), क्षेत्र (अधिमान 10%), गंदी बस्ती जनसंख्या (नगर पालिक निगम एवं नगर पालिकाएं - अधिमान 10%, नगर पंचायत - अधिमान 0%) और राजस्व प्रयास (अधिमान 10%) होगा।

कोषों के कुल आबंटन में से नगर पंचायतों का हिस्सा, उसकी नगरीय जनसंख्या में उसके भाग के आधार पर 22% होगा।

नगरीय स्थानीय निकायों को कोषों के हस्तांतरण के वर्षवार विवरण से स्पष्ट होता है कि राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के माध्यम से वर्ष 2014-18 के लिए राजस्व अंतरण मद में रू. 1,472.98 करोड़ एवं समनुदेशित राजस्व मद में रू. 4,192.00 करोड़ प्राप्त हुए। (तालिका 2.4)

तालिका 2.4
नगरीय स्थानीय निकायों को द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर अंतरण (वर्ष 2014-18)

(करोड़ रूपये में)

राजस्व अंतरण एवं समनुदेशित राजस्व (राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 1.85%)					
योजना का नाम/वर्ष	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**योग**
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा अंतरण					
नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास	200.00	464.00	323.06	211.50	1198.56
नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु अनुदान	67.12	74.20	66.60	61.50	268.42
नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सार्वजनिक प्रसाधन	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
योग	**267.12**	**538.20**	**389.66**	**278.00**	**1472.98**
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को समनुदेशित राजस्व					
प्रवेश कर (चुंगी क्षतिपूर्ति) अनुदान	860.00	935.98	893.24	936.00	3625.22
स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क अनुदान	55.00	62.00	69.00	69.00	255.00
विदेशी मदिरा लायसेंस शुल्क अनुदान	19.20	19.20	19.42	35.50	93.32
वाहन पर कर अनुदान	5.40	5.40	5.40	5.40	21.60
मनोरंजन कर अनुदान	12.10	16.01	19.38	20.10	67.59
आबकारी शुल्क अधिभार अनुदान	12.00	13.19	13.51	14.46	53.16
यात्री कर अनुदान	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00
सामान्य प्रयोजनीय अनुदान	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00
गौण खनिज रायल्टी अनुदान	0.00	3.03	4.65	4.43	12.11
योग	**979.70**	**1070.81**	**1040.60**	**1100.89**	**4192.00**

स्रोतः नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय स्थानीय निकायों के लिए द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने 62 अनुशंसाएं की थी, जिनमें से 46 अनुशंसाओं को राज्य सरकार ने स्वीकार किया। राज्य शासन ने संबंधित विभागों को अनुशंसाओं पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं ये अनुशंसाएं निम्नानुसार हैं :-

अनुशंसाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की स्थिति

क्र.	कंडिका क्र.	अनुशंसा	कार्यवाही
	नगरीय प्रशासन व्यवस्था		
1.	12.9	संविधान की बारहवीं अनुसूची में उल्लेखित सभी 18 कृत्य नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दिये जायें तथा विभिन्न स्तरों के निकायों के लिए अमले की व्यवस्था का पुनरीक्षण किया जाये।	संविधान की बारहवीं अनुसूची में कुल 18 कृत्यों में से 16 कृत्यों का संपादन स्थानीय निकायों के द्वारा किया जा रहा है। शेष निम्नलिखित दो कृत्यों के संपादन हेतु स्थानीय निकायों को हस्तांतरण हेतु विचार किया जाना प्रस्तावित है। (i) नगर योजना (ii) भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण
2.	12.12	नगर पालिका/ निगम आयुक्तों/ मुख्य नगर पालिका परिषद अधिकारियों का कार्यकाल तीन वर्ष निर्धारित किया जाना उचित होगा।	कार्यवाही सुनिश्चित की गई है।

3.	12.14	वर्तमान नगर पालिका परिषद संवर्गों का पुनरीक्षण किया जाये तथा लेखा, राजस्व, पर्यावरण, इंजीनियरिंग तथा टाऊन प्लानिंग के नये संवर्ग बनाये जायें। मुख्य नगर पालिक अधिकारी के वर्तमान संवर्ग में नगर पंचायतों में नियुक्ति के मामले में प्रचलित तदर्थवाद नगर निकायों के हित में नहीं है।	वर्तमान पद संरचना के पुनरीक्षण में संवर्गवार स्वीकृत किए जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है। मुख्य नगर पालिका परिषद अधिकारी की नियुक्ति/पदोन्नति लोक सेवा आयोग के माध्यम से 2014 एवं 2015 में की गई है- सीधी भर्ती से 54 पद पदोन्नति से 44 पद
4.	12.14	स्थानीय निकाय की जनसंख्या, वित्त व्यवस्था एवं कार्य क्षेत्र के आधार पर कर्मचारी व्यवस्था के प्रतिमान निर्धारित करने तथा नगर पालिका परिषद संगठन को मजबूत बनाने के समुचित उपायों का सुझाव एक निश्चित समय सीमा में देने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की जाये। भारत सरकार (शहरी विकास मंत्रालय) द्वारा इस संबंध में नवम्बर, 2012 में जारी किये गये मार्गदर्शी नोट की मदद ली जा सकती है।	नगरीय निकायों में एक समान पद पुर्नगठित पद संरचना स्वीकृत की गई है जिससे विसंगतियां समाप्त हो गई हैं।
5.	12.16	नगर पालिका परिषद कर्मचारियों की भर्ती में पारदर्शिता के लिये सेवा भर्ती नियम बनाया जाना चाहिए और उसका परिपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद कर्मचारियों के भर्ती नियम बने हुए हैं, तथापि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर भर्ती संबंधी जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप निकायों में कार्यवाही की जाती है।
6.	12.18	परियोजना के निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन के मामले में नगर निकायों को तकनीकी सहायता देने के लिए संचालक, नगर प्रशासन के कार्यालय में सम्प्रति कार्यरत तकनीकी प्रकोष्ठ को नगर पालिका परिषद लोक निर्माण विभाग के रूप में विकसित किया जाना चाहिये तथा वहां समुचित कर्मचारी व्यवस्था होनी चाहिये।	संचालनालय एवं संभाग स्तर पर निकायों को तकनीकी सहायता, तकनीकी स्वीकृति एवं निर्माणाधीन कार्यों की निगरानी हेतु यांत्रिकी (तकनीकी) प्रकोष्ठ कार्यरत है। निम्नानुसार पद स्वीकृत हैं :- मुख्य अभियंता - 01, अधीक्षक अभियंता - 04, कार्यपालन अभिंयता - 10, सहायक अभियंता - 12, उप अभियंता - 35 स्थानीय निकायों में भी आवश्यकतानुसार तकनीकी पद स्वीकृत हैं।
7.	12.20	नगर एवं ग्राम निवेश संगठन अधिनियम का पुनरीक्षण किया जाये। नगर एवं ग्रामीण नियोजन संगठन को आवास एवं पर्यावरण विभाग से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को हस्तांतरित किया जाए। भवन निर्माण अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाये तथा इसके लिये एकल खिड़की पद्धति प्रारंभ की जाये।	छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत निवेश क्षेत्र के गठन का प्रावधान है, जिसकी सीमा शहरी क्षेत्र के साथ-साथ संलग्न ग्रामों की सीमा तक होती है। अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश मास्टर प्लान तैयार करता है, जिसका अनुमोदन धारा 19 के तहत राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, जबकि परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों को दिया गया है। इसी प्रकार भवनों के ले-आउट अनुमोदन का कार्य नगर तथा ग्राम निवेश के क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर किया जा रहा है जबकि भवन निर्माण अनुज्ञा स्थानीय निकायों के द्वारा अपने अधिसूचित क्षेत्र में जारी की जाती है। नगर तथा ग्राम निवेश के द्वारा मास्टर प्लान तैयार करने एवं ले-आउट अनुमोदन करने का कार्य किया जाता है, क्योंकि टाउन प्लानर्स नगर तथा ग्राम निवेश में पदस्थ है। यदि स्थानीय निकायों में टाउन प्लानर्स को

			प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाता है तो उन्हें ले-आउट अनुमोदन करने हेतु भी अधिकृत किया जा सकता है। अनुज्ञा की प्रक्रिया को सरल करने तथा एकल खिड़की पद्धति प्रारंभ करने के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है। आवास एवं पर्यावरण विभाग के, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को हस्तांतरण करने की अनुशंसा से विभाग सहमत नहीं है।
8.	12.22	छत्तीसगढ़ नगर पालिका परिषद राजस्व नियामक आयोग का गठन शीघ्र किया जाए।	छ.ग. नगर पालिका परिषद राजस्व (विनियामक) आयोग के गठन हेतु अधिसूचना क्र. एफ 5-6/18/2009 दिनांक 22.09.2012 जारी की गई है।
	नगरीय निकायों की वित्त व्यवस्था		
9.	14.21	बकाया राशि की समस्याओं का अध्ययन करके उनकी वसूली के लिये कदम उठायें।	छ.ग. नगर पालिका परिषद राजस्व (विनियामक) आयोग के गठन पश्चात् विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा दिनांक 11 मई 2011 द्वारा आयोग का कार्यक्षेत्र एवं कृत्य जारी किए गए हैं, जिसमें उपरोक्त अनुशंसाओं को शामिल करना विचाराधीन है।
	14.24	सम्पत्ति कर का यथा शीघ्र पुनरीक्षण सुनिश्चित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक पांच वर्षों में उसका पुनरीक्षण होता रहे।	
	14.35	नगर पालिका परिषद विज्ञापन कर प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिये दिशा-निर्देश जारी करें जिससे नगरीय निकायों को इस स्त्रोत से अधिकाधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके।	
	14.50 एवं 14.51	ऐसे दिशा-निर्देश जारी करें, जिनसे राज्य के नगरीय निकाय उनके द्वारा प्रदत्त सुविधाओं और सेवाओं के संचालन एवं अनुरक्षण प्रभारों की वसूली कर पाने में सक्षम हो सकें। इसके साथ ही वह समुन्नत एवं प्रभावी सेवा प्रदाय के लिये उपभोक्ता प्रभार के सम्यक, एवं समयबद्ध भुगतान की जरूरत के संबंध में नगर निकायों और साथ ही नागरिकों को शिक्षित तथा जागरूक करें।	
	करों से संबंधित सुधार		
10.	14.14	नगर पालिका परिषद अधिनियम एवं नगर पालिक निगम अधिनियम में सम्पत्ति कर से छूट विषयक प्रावधानों का पुनरीक्षण कर उनका युक्तियुक्तकरण किया जाना चाहिये।	कार्यवाही विवरण एवं जानकारी अप्राप्त।
11.	14.32	प्रवेश कर का सकल आगम बिना किसी शर्तों के नगरीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए।	बजट में प्राप्त प्रवेश कर की राशि नियमित रूप से स्थानीय निकायों को प्रदाय की जा रही है।
12.	14.33	अधिनियमों के प्रावधान के अनुसार नगरीय निकाय एक सामान्य प्रयोजन कर के रूप में जल कर लगाए और उसे वसूल करें।	1. जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण मिशन सुधार एजेण्डा के अनुसार पानी मीटर स्थापित करने के उपरान्त जल के उपयोग के आधार पर उपभोक्ता से शुल्क वसूलना प्रस्तावित है। 2. इस हेतु वर्ष 2012 में छ.ग. नगरपालिक अधिनियम

			1956 की धारा 132-क की उपधारा (2) की कंडिका (क) तथा छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 127-बी की उपधारा (2) की कंडिका (क) में जलापूर्ति के लिए प्रावधान अंतः स्थापित किया जा चुका है।
13.	14.43, 14.48, 14.50 एवं 14. 51	जल शुल्क और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क का युक्तियुक्तकरण किया जाये जिससे कम से कम संचालन लागत की वसूली हो सके। जल शुल्क के भुगतान के मामले में जो छूट और रियायतें दी गई है, वे सब समाप्त की जाये। नगर निकायों को चाहिये कि वे अपनी सेवा लागत की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करें।	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत निकायों हेतु भारत सरकार द्वारा जारी रिफोर्म में उपभोक्ता प्रभार के संबंध में दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं। इस संबंध में UIG एवं UISSMT अंतर्गत सूडा द्वारा कार्यवाही की जा रही है एवं एमएसडब्ल्यू के अंतर्गत कार्यवाही विभाग की तरफ से अधीक्षण अभियंता द्वारा की जा रही है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय द्वारा राजपत्र दिनांक 12 जनवरी 2011 को जारी अधिसूचना क्रमांक ए 5-4/18/2011 में जल नल संयोजन अनुमति शुल्क में से आयकर दाता एवं गैर आयकर दाता की श्रेणी को विलोपित करते हुए नगरनिगम के लिए राशि रू. 3,500/- नगर पालिका परिषद के लिए राशि रू. 2750/- और नगर पंचायत के लिए राशि रू. 2250/- किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त अनुशंसा के अनुसार यह कार्य छ.ग. नगर पालिका परिषद राजस्व (विनियामक) आयोग के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया जाना विचाराधीन है।
14.	14.54	स्टाम्प ड्यूटी के हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाये एवं समय पर हस्तांतरण की व्यवस्था की जाए।	निकायों को स्टाम्प ड्यूटी का हस्तांतरण समय-सीमा में किया जा रहा है।
	लेखा और अंकेक्षण		
15.	14.66	नगरीय निकायों में नियमित लेखापाल नियुक्त किया जाना अत्यंत आवयश्यक है। इस समय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों सहित जितने व्यक्ति लेखापाल का काम कर रहे हैं, उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव सहित व्यापक प्रशिक्षण दिया जाए। नगर पालिका परिषद में कार्यरत कर्मचारियों की आंतरिक क्षमता एक निर्धारित अवधि में विकसित की जानी चाहिये।	नगरीय निकायों में अप्रैल 2015 के पूर्व 69 पद स्वीकृत थे । निकायों हेतु 24 अप्रैल 2015 में 167 लेखापाल पद सृजित किए गए। वर्तमान में कुल 236 पद हैं।
16.	14.67	नगरीय प्रशासन में वित्तीय जवाबदेही लाने के लिए इन निकायों को निर्धारित समय सीमा में अंकेक्षण आपत्तियों का निराकरण करना चाहिए।	सभी लंबित अंकेक्षण आपत्तियों के निराकरण हेतु समय-समय पर सर्वसंबंधित अधिकारियों को संचालक के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।
17.	14.68	राज्य सरकार कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि और कम्प्यूटरीकरण के जरिए स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग को मजबूत बनाये। अंकेक्षण आपत्तियों के शीघ्र निराकरण के लिये विशेष अभियान चलाया जाये। इसमें विलम्ब होने से अंकेक्षण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है और लोगों का विश्वास प्रभावित होता है।	स्थानीय निधि संपरीक्षा के द्वारा विभिन्न स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी निकायों के लिए तैयार किए जाने वाले संपरीक्षा प्रतिवेदन को ऑनलाईन जेनेरेट करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हेतु अतिरिक्त पदों के सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

18.	14.70	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा निदेशक के वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने चाहिए।	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर रखे जा रहे हैं।
	जल और स्वच्छता		
19.	14.73	जल प्रदाय नेटवर्क की उपलब्धता के अधीन शहरी क्षेत्र के सभी गरीब परिवारों को अधिनिर्णय अवधि के दौरान ही भागीरथी नल जल योजना के अंतर्गत लाने के लिये इसकी आबंटन राशि में वृद्धि किया जाना उचित होगा। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अनुश्रवण (मानिटरिंग) की व्यवस्था भी होनी चाहिए।	• शहरी गरीब परिवारों को लाभान्वित किए जाने हेतु भागीरथी नल जल योजना के अंतर्गत निःशुल्क नल संयोजन की कार्यवाही की जा रही है। • योजना के अंतर्गत 143 नगरीय निकायों को 237739 शहरी गरीब परिवारों को निःशुल्क नल संयोजन हेतु राशि रू. 7132.17 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। अद्यतन 87698 हितग्राहियों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है।
20.	14.75	महिलाओं के लिये निजता और प्रतिष्ठा के अनुरूप सर्व सुलभ स्वच्छता व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए रूपये 200 करोड़ के अनुदान की अनुशंसा की गई है।	• महिला सामुदायिक शौचालय हेतु प्रतिवर्ष बजट में आवश्यक राशि का प्रावधान किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू. 5.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। • 23 नगरीय निकायों को 30 महिला सामुदायिक शौचालय हेतु राशि रू. 498.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।
	संसाधनों का विदोहन		
21.	14.78	नगरीय निकायों को उन वैकल्पिक करों को अवश्य लगाना चाहिये जिनको लगाने का उन्हें अधिकार दिया गया है। इन करों को युक्तियुक्त एवं तर्कसंगत बनाकर इनके माध्यम से प्रतिवर्ष रूपये 25 से 30 करोड़ की अतिरिक्त वार्षिक आय अर्जित की जा सकती है।	शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 8-20/2016/18 दिनांक 16.06.2016 द्वारा अधिनियम के अंतर्गत समस्त करों का अधिरोपण करने का निर्देश जारी किया गया है।
22.	14.80	व्यापार अनुज्ञा शुल्क की दरें पुनरीक्षित की जायें तथा और अधिक व्यापारों को इसके अंतर्गत लाने के लिये व्यापार सूची का पुनरावलोकन किया जाये। खाली पड़ी जमीन पर पूंजीगत मूल्य के आधार पर कर लगाया जाए। केबल आपरेटरों पर कर लगाया जाए। इससे प्रतिवर्ष रूपये 20 करोड़ की प्राप्ति हो सकती है।	समस्त नगरीय निकायों को वर्तमान व्यापार अनुज्ञा शुल्क का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।
	छत्तीसगढ़ नगरीय अधोसंरचना कोष		
23.	14.82 और 14.83	जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के दिशा-निर्देश अनुसार एक "रिवाल्विंग फंड" गठित किया जाए और उसका वर्तमान छत्तीसगढ़ नगरीय अधोसंरचना कोष में संविलियन कर दिया जाए। इस कोष हेतु 50 करोड़ रूपयों की "सीड कैपिटल" दी जाये। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ नगरीय वित्त और अधोसंरचना विकास निगम नामक निगम का गठन	जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के दिशा-निर्देश के अनुरूप रिवाल्विंग फंड निर्माण हेतु बैंक खाते खोले गए हैं।

		किया जा सकता है। जो शहरी निकायों तथा वित्त बाजार के बीच के वित्तीय मध्यवर्ती सूत्र की भूमिका का निर्वाह करने के लिये छत्तीसगढ़ नगरीय अधोसंरचना कोष के फंड प्रबंधक/परिसम्पत्ति प्रबंधक के रूप में काम करें। इस "रिवाल्विंग फंड" की बुनियादी अंर्तव्यवस्था आदि का निर्णय उक्त निगम द्वारा किया जाये। यह निगम नगरीय निकायों को उक्त कोष से अंशतः ऋण और अंशतः अनुदान के रूप में धन राशि प्रदान करे जैसा कि सम्प्रति अधोसंरचना विकास के लिए किया जाता है।	
24.	14.84	नगरीय अधोसंरचना की सुदृढ़ वित्त व्यवस्था के लिये पूंजीगत व्यय के विभिन्न माडल बनाये जाने की आवश्यकता है।	पीपीपी से कार्य हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्ययोजना पर विचार किया जाएगा।
	कार्य निष्पादन के लिए प्रोत्साहन		
25.	14.85	नगरीय निकायों को इन दो मानदण्डों पर आधारित अतिरिक्त अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाए। प्रथम, सम्पत्ति कर का 90% संग्रहण और द्वितीय लेखा की द्वि-प्रविष्टि प्रणाली का लागू किया जाना।	नगरीय निकायों में द्वि-प्रविष्ठि प्रणाली प्रचलित है। नगरीय निकायों को अतिरिक्त अनुदान देकर प्रोत्साहित करने हेतु परिपत्र क्रमांक 5783/4726/2016/18 दिनांक 11 अगस्त 2016 जारी कर निम्नानुसार प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त अनुदान की स्वीकृति जारी की गई है :- (लाख रूपये में) स.क्र. | श्रेणी का आधार | श्रेणी | नगर पालिक निगम | नगर पालिका परिषद | नगर पंचायत 01 | 80% से ऊपर | "ए" | 100.00 | 25.00 | 10.00 02 | 60% से 80% | "बी" | 50.00 | 20.00 | 7.00 03 | 60% से कम | "सी" | 25.00 | 10.00 | 5.00
26.	14.86	नगरीय स्थानीय निकायों में सेवा का स्तर समुन्नत करने के लिये उचित प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया जाना उचित होगा। इस योजना के अधीन उन नगरीय निकायों को विशेष अनुदान की व्यवस्था हो जो घरों तक जल आपूर्ति हेतु नल कनेक्शन, सिवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में वर्तमान स्तर से किसी एक वर्ष कम से कम 10 प्रतिशत की वृद्धि करें।	नगरीय निकायों के सेवा स्तर समुन्नत करने हेतु प्रोत्साहन राशि पर विचार किया जा रहा है।
27.	14.87	नगर पंचायतों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही नागरिक सेवाओं का भी मूल्यांकन किया जाए तथा उन पर भी सेवा स्तर बैंचमार्क व्यवस्था लागू किया जाए।	मूलभूत सेवाओं के स्तर के मूल्यांकन हेतु प्रदेश की समस्त 111 नगर पंचायतों को सेवा स्तर बेंचमार्क प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है ।
28.	14.88 और 17.12	नगरीय प्रशासन व्यवस्था में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार वार्ड और मोहल्ला समितियां गठित की जाये तथा सम्पत्ति कर के संग्रहण में वृद्धि के लिये उनके योगदान को प्रोत्साहन दिया जाए।	नगरीय व्यवस्था में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने हेतु नियमानुसार निकाय स्तर पर मोहल्ला एवं वार्ड समितियों का गठन किया गया है, जिससे विभिन्न करों के संग्रहण में वृद्धि हुई है।

29.	14.90	नगरीय निकायों को यथासमय धनराशि उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अनुदानों में की गई कटौती का उन्हें विवरण दिया जाए। संचालक, नगरीय प्रशासन को नगरीय निकायों द्वारा उपयोग में नहीं लायी गयी राशि जो उनके पास लम्बी अवधि तक शेष रहती है, उसका नियमित अनुश्रवण (मानिटरिंग) करना चाहिए।	संचालनालय के पत्र क्रमांक/ चार/ ले./ अनु./ 2013-14/ 987 दिनांक 04.02.2014 द्वारा अनुश्रवण/ मानिटरिंग की जा रही है। निकायों को यथा समय धन राशि उपलब्ध कराई जा रही है, साथ ही अनुदानों में कटौती का विवरण उपलब्ध कराया जा रहा है। उनके पास लम्बी अवधि तक शेष बचत राशि की नियमित एवं त्रैमासिक मानिटरिंग की जा रही है।
30.	14.90	प्रत्येक नगर पंचायत को अधोसंरचना और मूलभूत सेवाओं के लिए एक बार 1 करोड़ और पांच जिला मुख्यालयों के नगर पंचायतों को एक बार में 1-1 करोड़ रूपयों का अतिरिक्त अनुदान दिया जाए। यह अनुशंसा हमने अंतरिम प्रतिवेदन में भी की है।	नगर पंचायतों को पात्रतानुसार आबंटन दिया जा रहा है। जिला मुख्यालय की नगर पंचायतों को राशि रू. 1-1 करोड़ आबंटित किया जा चुका है।
	वित्तीय आवश्यकता और राज्य शासन से अंतरण		
31.	15.5	अधिनिर्णय अवधि के दौरान आवश्यक निवेश तथा उपलब्ध संसाधनों के अंतर को, राज्य वित्त आयोग के आबंटनों, राज्य के अतिरिक्त सहायता अनुदानों तथा कर सुधार के जरिये नगरीय निकायों द्वारा जुटाई जाने वाली रूपये 648 करोड़ की राशि से पूरा किया जाना चाहिये। ये अंतरण और अनुदान पूंजीगत व्यय के लिये जल आपूर्ति, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क आदि क्षेत्रों में परिसम्पत्तियों के निर्माण तथा क्षमता संवर्धन के लिए है। नगरीय निकायों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पांच वर्षों की अधिनिर्णय अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक क्षेत्र के लिये लागत अनुमान सहित क्षेत्रवार योजना तथा क्षमता संवर्धन बनाई जाए। वार्षिक आबंटन तद्नुसार किया जाना अधिक उपयुक्त होगा।	आगामी 5 वर्षों की निकायों की आवश्यकता के दृष्टिगत क्षेत्रवार विस्तृत योजनाएं तैयार करने के पूर्व निकायों की सहायता हेतु आर्किटेक्ट की नियुक्ति की गई है।
32.	16.13	राज्य के सभी नगरीय निकायों में अच्छी व्यवस्थाओं का प्रचार किया जाये तथा प्रस्तावित राज्य नगरीय प्रशासन तथा विकास संस्थान (S.I.U.G.D.) को इन अच्छी प्रणालियों एवं व्यवस्थाओं के अभिलेख, प्रचार प्रसार तथा नगरीय निकायों द्वारा इनके अंगीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना चाहिए।	सूडा एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के माध्यम से किए गए उल्लेखनीय कार्यों की जानकारी "हमर शहरी" त्रैमासिक पत्रिका में नियमित रूप से प्रकाशित की जा रही है।
	नगरीय स्थानीय निकाय सामान्य सुधार		
33.	17.3	नगरीय निकायों के सम्पूर्ण कार्य क्षेत्र में चरणबद्ध रूप से ई-गवर्नेस प्रारंभ किया	प्रदेश के 10 नगर पालिक निगम, 32 नगर पालिका परिषद एवं 127 नगर पंचायतों में ई-गवर्नेस के अंतर्गत

		जाए तथा सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को ई-गवर्नेस के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाए।	निम्नानुसार ऑनलाईन कार्य संपादित किए जा रहे हैं :- • निर्माण कार्यों की ऑनलाईन एन्ट्री। • राजस्व वसूली की एन्ट्री। • आय-व्यय की जानकारी, मूलभूत जानकारी। • अधिकारी/कर्मचारी की जानकारी। • ऑनलाईन शिकायत प्रणाली (ई-ग्रीवेंसेस)। • द्वि-प्रविष्ठि लेखा प्रणाली। • ई-पेरोल सिस्टम। • निर्माण कार्यों की ई-टेण्डरिंग। • जीआईएस आधारित प्रापर्टी टैक्स एवं भवन अनुज्ञा प्रणाली। • प्रदेश के समस्त निकायों में इंटरनेट की सुविधा। • प्रदेश के समस्त निकायों में ई-मेल की सुविधा। • योजनाओं का क्रियान्वयन। • संचालनालय की समस्त शाखाओं की नस्तियों का प्रस्तुतीकरण एवं पत्रों का कम्प्यूटरीकरण। • विभिन्न प्रपत्रों/निर्देशों का विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शन। • विभागीय वेबसाईट का संचालन। • ई-गर्वनेंस से संबंधित प्रशिक्षण।
34.	17.4	जिला समंक (डाटा) केन्द्रों की स्थापना के लिए समय-सीमा निर्धारित हो और उनमें कार्य प्रारंभ कराया जाए। संयुक्त संचालक के कार्यालय में भी डाटा केन्द्र बनाए जाए। नगर पालिका परिषद प्रशासन संचालनालय एवं संयुक्त संचालक कार्यालय के केन्द्रों तथा जिला डाटा केन्द्रों को परस्पर जोड़ दिया जाए तो अधिक उपयोगी होगा।	1/ वर्तमान में प्रदेश के समस्त जिलों द्वारा जिला डाटा सेंटर की स्थापना की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रचलित है। 2/ शीघ्र ही संयुक्त संचालक कार्यालयों में भी डाटा सेंटर की स्थापना करने की कार्यवाही की जावेगी। 3/ आगामी सत्र से प्रदेश के डाटा सेंटर से समस्त जिला डाटा सेंटर एवं संयुक्त संचालक स्थित डाटा सेंटर को परस्पर जोड़ कर विभिन्न विभागीय जानकारी एकत्र करने की कार्यवाही की जावेगी। 4/ डाटा सेंटर के माध्यम से विभागीय प्रशिक्षण, विडियो कांफ्रेसिंग एवं अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
35.	17.7	राज्य में राज्य नगरीय प्रशासन तथा विकास संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा इसके अधोसंरचना विकास तथा कार्यक्रमों के आयोजन के लिए रूपये 50 करोड़ की राशि आबंटित किया जाना चाहिए। नगरीय निकायों के वेतन बजट की 2.5 प्रतिशत राशि क्षमता संवर्धन के लिए आबंटित की जाए। कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए सभी निर्वाचित और सरकारी पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाए।	अनुशंसा को मान्य किया गया है। भारत सरकार से राशि प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।
36.	17.11	राज्य, जिला और स्थानीय स्तर के अनुश्रवण अभिकरणों (मानिटरिंग एजेंसी) के प्रतिवेदन समुचित कार्यवाही के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।	विभाग से उपयुक्त सूचना प्राप्त नहीं हुई।
37.	17.12	नगर पालिक निगम/मुख्य नगर पालिका परिषद अधिकारी द्वारा वित्त व्यवस्था, केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों से प्राप्त	शासन स्तर पर 3-4 माह में नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक आयोजित कर उक्त सभी विषयों की समीक्षा की जाती है।

		अनुदानों के उपयोग, योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, स्तरांक (बेंचमार्क) के अनुरूप सेवा प्रदाय, शिकायत निवारण आदि के विषय में नगर पालिका परिषद के कार्य निष्पादन तथा कार्य में परिलक्षित कमियों पर त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिससे परिषदों को विकास कार्य में सहभागिता तथा आवश्यक निर्णय लेने में सरलता हो।	
38.	17.17	सभी नगरीय निकाय समय-समय पर कार्य के निष्पादन, वित्त व्यवस्था तथा सेवा प्रदाय संबंधी योजनाओं की वर्तमान स्थिति का विवरण घोषित करें। ऐसा किये जाने से नागरिकों में जागरूकता बढ़ती है और उनके द्वारा बेहतर भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है और उनसे सुझाव भी मिल सकते हैं। सभी नगरीय निकाय छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी नियम, 2011 में शामिल सेवाओं की वर्तमान स्थिति भी प्रकाशित करें।	नगरीय निकायों द्वारा छ.ग. लोक सेवा गारंटी नियम 2011 के अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली सेवाओं में नल कनेक्शन, भवन निर्माण अनुज्ञा, दुकान स्थापना लायसेंस, सम्पत्ति का नामांतरण, ट्रेड लायसेंस, खाद्य (विक्रेता) पंजीकरण, जन शिकायत शामिल है। उपरोक्त के अतिरिक्त खाद्य विभाग के ए.पी.एल. राशनकार्डों, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र तथा प्रतिलिपि जारी करना व समाज कल्याण विभाग के पेंशन/राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना को विभाग द्वारा प्रदाय की जाने वाली सेवाओं के अंतर्गत लिया गया है।
39.	17.19	शहरों में पड़ी खाली जमीन से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाये। नगरीय निकायों को चाहिये कि वे परिवर्तन शुल्क, सुधार शुल्क, प्रभाव शुल्क एवं विकास शुल्क आदि जैसे भूमि आधारित नये वित्तीय स्त्रोतों का पता लगाये, नगर नियोजन के अधीन फ्लोर स्पेस इंडेक्स का मूल्य निर्धारित करे। नगर के कमजोर तथा सीमान्त वर्ग के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक भूमि से प्राप्त आय के लिये पारदर्शी और जवाबदेह योजना तैयार करें।	1. नगरीय निकायों को अपने क्षेत्र में रिक्त पड़ी सरकारी जमीन तथा नजूल घास, पड़ती आदि भूमि को राजस्व विभाग से हस्तांतरण कराकर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए हैं। 2. नगरीय निकायों को खाली पड़ी जमीन पर सम्पत्ति कर अधिरोपित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
40.	17.20	राज्य स्तर पर तथा बड़े शहरों में बहुप्रयोजनीय (multi-disciplinary) नगर पालिक परियोजना प्लानिंग और प्रबंधन यूनिट (M.P.P.M.U.) स्थापित की जानी चाहिए।	राज्य स्तर पर वर्तमान में पी.एस.यू. एवं एस.एल.टी.सी. एवं शहरी स्तर पर पी.आई.यू. जैसे प्रबंधन यूनिट की स्थापना राज्य शहरी विकास अभिकरण के अंतर्गत की गई है।
41.	17.21	नगरीय निकायों की अधोसंरचना परियोजनाओं तथा उनके परिचालन एवं अनुरक्षक कार्य में गुणात्मकता सुनिश्चित करने के लिये प्रस्तावित नगर पालिका परिषद लोक निर्माण संभाग के अंतर्गत गुणवत्ता नियंत्रक प्रयोगशाला स्थापित की जाये। सभी अधोसंरचना परियोजनाओं में परिचालन एवं अनुरक्षक कार्यों में गुणवत्ता प्रमाणन को सांविधिक दर्जा और महत्व दिया जाये और यदि आवश्यक हो तो	विभाग से उपयुक्त सूचना प्राप्त नहीं हुई।

		इसके लिये कानून में परिवर्तन भी किया जाये।	
42.	17.23	यह आयोग प्रथम राज्य वित्त आयोग के सुझावों को दुहराते हुए अनुशंसा करता है कि छ.ग. सरकार द्वारा भारत सरकार के ध्यान में यह बात लायी जाये कि भविष्य में नगरीय निकायों को दिया जाने वाला आबंटन अन्य बातों के साथ-साथ अधोसंरचना की स्थिति तथा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित स्तरांकों (बेंचमार्क) को प्राप्त करने के लिए अनुमानित लागतों पर आधारित होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि 14वें वित्त आयोग द्वारा नगरीय निकायों के कर प्रयासों को समुचित महत्व देते हुए तेरहवें वित्त आयोग की तरह उन्हें (निकायों को) अतिरिक्त अनुदान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त सूचना तकनीक तथा नगरीय सूचना प्रणाली सहित ई-गवर्नेस को बेहतर बनाने के लिए अनुदान भी दिया जाना चाहिए।	13वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशानुसार ई-गवर्नेस के अंतर्गत समस्त जिला मुख्यालय में डाटा सेंटर की स्थापना की गई है। 14वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देश अनुसार निम्नानुसार मापदण्ड पूर्ण करने वाले निकाय कार्य निष्पादन अनुदान के लिए पात्र हैं :- 1. बजट लेखा प्रस्तुत करना, 2. पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व बजट में वृद्धि (चुंगी और प्रवेशकर से हुई आय छोड़कर) 3. मूलभूत शहरी सेवाओं से संबंधित बेंचमार्क की तुलना में अपनी स्थिति व उपलब्धि का प्रकाशन कर जनता को उपलब्ध कराना होगा।
	कोषों के अंतरण के सिद्धांत		
43.	18.19	नगरीय निकायों के तीनों स्तरों के मध्य आबंटन निम्नलिखित आधार पर किया जाए- जनसंख्या (मानदण्ड भार 70 प्रतिशत), क्षेत्रफल (10 प्रतिशत), गन्दी बस्ती जनसंख्या (10 प्रतिशत) और राजस्व प्रयास (10 प्रतिशत)। नगर पंचायतों के लिए गंदी बस्ती का आधार असंगत है, अतः उनके लिए कुल जनसंख्या को ही 80 प्रतिशत मानदण्ड भार दिया जाना प्रस्तावित है।	अनुशंसा अनुरूप मानदण्ड आधारित आबंटन किया गया।
44.	18.19	नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरण के लिए प्रस्तावित कुल राशि का 22 प्रतिशत भाग नगर पंचायतों को, राज्य की कुल जनसंख्या में उनके भाग के आधार पर दिया जायेगा।	नगर पंचायत की जनसंख्या को आधार मानकर राशि आबंटन की जा रही है।
	स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान		
45.	19.3	नगरीय प्रशासन और विकास संस्थान की स्थापना के लिए रूपये 50 करोड़ का एक बार सहायता अनुदान दिये जाने की अनुशंसा की गई है। यह संस्थान शहरी निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों के क्षमता विकास के लिए होगा। सहायता अनुदान की यह राशि दो वर्षों में दी जा सकती है।	राज्य सरकार द्वारा 9.183 हेक्टेयर जमीन नया रायपुर में उक्त संस्थान हेतु आबंटित की गई है तथा माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन द्वारा 10 करोड़ (दस करोड़) रूपये की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार से राशि की स्वीकृति हेतु पत्र दिनांक 07.09.2014 द्वारा निवेदन किया गया है। राशि प्राप्त होने पर विकास संस्थान की स्थापना की जा सकेगी।
46.	19.3	राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों को स्वच्छता और साफ सफाई के लिए रूपये 200 करोड़ का सहायता अनुदान दिया	अधोसंरचना मद से अनुशंसित कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार राशि व्यय की जा रही है। साथ ही भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निम्नानुसार शौचालय निर्माण

		जाए। नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग शहरों में साफ सफाई और स्वच्छता के लिए समुचित योजनाएं बनायें जिसमें सार्वजनिक शौचालयों, सार्वजनिक मूत्रालयों तथा शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले कमजोर वर्गों के लिए स्वच्छ शौचालयों के लिए कोष व्यवस्था भी शामिल हो।	कार्य भी किए गए हैं :- 1. 138 ब्लॉक में 1663 सीट सामुदायिक शौचालय 2. 2014-15 से 2016-17 तक 257030 निजी शौचालय।

अन्य अनुशंसाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की स्थिति

क्र.	कंडिका क्रमांक	अनुशंसा	कार्यवाही
1.	3.21	पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों के लिए अलग बनाई गई बजट पुस्तकों में स्थानीय निकायों को समनुदेशित (सौंपा गया) राजस्व, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार अंतरण, विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए अनुदान, शासकीय विभागों द्वारा हस्तांतरित कोष आदि के रूप में दी गई राशि और उनमें व्यय की गई राशि का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।	राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार बजट में आयोजना मद के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा सामान्य हेतु सेगमेंट कोड 1101 एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना हेतु सेगमेंट कोड 1102 में योजनाओं का वर्गीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के राजस्व का स्थानीय निकायों को अंतरण, योजनाओं में स्पष्ट रूप से दर्शाया जा रहा है।
2.	17.10	मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार समिति द्वारा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जानी चाहिए।	मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार समिति द्वारा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जा रही है।
3.	18.8	आयोग की अनुशंसा है कि राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 8 प्रतिशत भाग स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए। हमने अपने अंतरिम प्रतिवेदन में भी यही अनुशंसा की थी।	अनुशंसा के अनुसार राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 8 प्रतिशत भाग स्थानीय निकायों को अंतरित किया गया है।
4.	18.10	राज्य की ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के आधार पर उपर्युक्त विभाजनीय पूल (राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 8 प्रतिशत भाग) में पंचायती राज संस्थाओं का हिस्सा 6.85 प्रतिशत और नगरीय स्थानीय निकायों का हिस्सा 1.15 प्रतिशत है। अधिनिर्णय अवधि के लिए राज्य सरकार के शुद्ध कर राजस्व की उक्त रूपये 5796.48 करोड़ की राशि में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी क्रमशः रूपये 4453.73 करोड़ तथा रूपये 1339.75 करोड़ की होगी।	अनुशंसा के अनुसार विभाजनीय पूल (राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 8 प्रतिशत भाग) में पंचायती राज संस्थाओं का हिस्सा 6.85 प्रतिशत और नगरीय स्थानीय निकायों का हिस्सा 1.15 प्रतिशत हस्तांतरित किया गया है।
5.	18.23	पांच वर्षों की अधिनिर्णय अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को कुल रूपया 7.3352 करोड़ और नगरीय स्थानीय निकायों को लगभग रूपये 6,624.60 करोड़ हस्तांतरित किये जाने का अनुमान है। इसमें अनुशंसित अंतरण और समनुदेशित (assigned) राजस्व दोनों	कार्यवाही विवरण एवं जानकारी अप्राप्त।

		की राशि शामिल है। अर्थात् राज्य के शहरी क्षेत्र में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति रूपया 2231.80 और ग्रामीण क्षेत्र में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति रूपया 748.40 की दर से कोष का हस्तांतरण होगा।	
6.	20.1	राज्य वित्त आयोग अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके आयोग बहुसदस्यीय बनाया जाए। राज्य वित्त आयोग में अर्थशास्त्र, लोक वित्त, कानून, लोक प्रशासन, स्थानीय प्रशासन तथा विकेन्द्रीयकरण जैसी विधाओं के विशेषज्ञ सदस्य लिए जाएं।	छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 13 जनवरी 2016 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्र. 3 सन् 1994) की धारा 3 में शब्द "एक अन्य सदस्य" के स्थान पर "दो अन्य सदस्य" प्रतिस्थापित किया गया है।
7.	20.2	केन्द्रीय वित्त आयोग की तरह राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को बिना किसी संशोधन के स्वीकार किए जाने की परम्परा डाली जाए तथा उसकी अनुशंसाओं पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही की जाए। बारहवें वित्त आयोग ने भी इसकी अनुशंसा की थी।	राज्य शासन द्वारा आयोग की अधिकांश अनुशंसाओं को यथासंभव मान्य किया जाता है एवं राज्य के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता है।
8.	20.3	आगामी अधिनिर्णय अवधि प्रारंभ होने के पहले ही समय रहते राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। राज्य वित्त आयोग का गठन केन्द्रीय वित्त आयोग के गठन के साथ तालमेल बैठा कर किया जाए जिससे उसका प्रतिवेदन केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा विचार के लिए उपलब्ध हो सके। बारहवें वित्त आयोग ने भी यह अनुशंसा की थी।	तृतीय राज्य वित्त आयोग का गठन दिनांक 20 जनवरी, 2016 द्वारा किया जा चुका है। अतः केन्द्रीय वित्त आयोग को तृतीय राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन यथा समय उपलब्ध करा दिया जायेगा।
9.	20.4	बजट दस्तावेज के साथ प्रतिवर्ष प्रकाशित किए जाने वाले वित्त सचिव के स्मृति पत्र में राज्य वित्त आयोग के अंतरण के अंतर्गत हस्तांतरित राशि का विवरण अलग से दर्शाया जाना चाहिए।	बजट दस्तावेज के साथ प्रतिवर्ष प्रकाशित किये जाने वाले वित्त सचिव के स्मृति पत्र में राज्य वित्त आयोग के अंतरण के अंतर्गत हस्तांतरित राशि का विवरण वर्ष 2014-15 से पृथक से दर्शाया जा रहा है।
10.	18.21 एवं 20.5	वित्त विभाग में एक स्थायी राज्य वित्त आयोग प्रकोष्ठ का गठन किया जाये, जो आयोग की अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करें, उसकी प्रगति पर नजर रखे। साथ ही क्रियान्वयन में परिलक्षित समस्यायें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। शहरी प्रशासन विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में भी इन्हीं कार्यों के लिए ऐसा ही प्रकोष्ठ बनाया जाये, जिसका वित्त विभाग के प्रकोष्ठ से सीधा संबंध रहें। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित जो समिति तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत दिये गये कोष के उपयोग पर नजर रखती है, वह राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को हस्तांतरण के लिए प्रस्तावित राशि के उपयोग पर भी नजर रखे।	राज्य शासन द्वारा वित्त , पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में वित्त आयोग प्रकोष्ठ का गठन कर लिया गया है।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग की 30 अनुशंसाओं को राज्य शासन द्वारा मान्य नहीं किया गया था, जो निम्नानुसार हैं:-

क्र.	कंडिका क्रमांक	अनुशंसा	राज्य शासन का निर्णय
1	7.4	सम्पत्ति कर के दो घटक शीर्ष होने चाहिए। प्रथम भवनों पर कुर्सी क्षेत्रफल और द्वितीय, खाली गैर कृषि भूमि पर पूंजीगत मूल्य के आधार पर सम्पत्ति कर का आरोपण करना चाहिए।	खाली गैर-कृषि भूमि पर पूंजीगत व्यय मूल्य के आधार पर सम्पत्ति कर के आरोपण की आयोग की अनुशंसा को अमान्य किया गया है।
2	7.4	पंचायत अधिनियम में प्रावधानित अनिवार्य करों को आरोपित न करने और/अथवा ऐसे करों की वसूली नहीं करने वाली ग्राम पंचायतों के विरूद्ध पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही किया जाना चाहिए।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है।
3	7.4 एवं 7.5	ऐसी समस्त निजी सम्पत्तियों, भूमि और भवन जिनका उपयोग शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए होता है तथा उसके लिए छात्रों से फीस ली जाती है, उन्हें सम्पत्ति कर के दायरे में लाया जाना चाहिए।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है।
4	7.6	धार्मिक, शैक्षणिक या धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए उपयोगी भवनों को सम्पत्ति कर से छूट तभी दी जाए, जब ऐसे भवनों की आय का उपयोग पूर्णतः ऐसे ही प्रयोजनों के लिए हो रहा हो। साथ ही सम्पत्ति कर के अलावा प्रकाश कर सहित सेवा करों में कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है।
5	7.18	वर्तमान भूमि विकास कर के स्थान पर विभिन्न प्रकार की कृषि भूमि पर "स्थानीय विकास कर" लगाया जाए। इसके लिए कृषि भूमि को सिंचित, अर्धसिंचित व सूखी भूमि में वर्गीकृत किया जाए, तथा प्रत्येक श्रेणी की जमीन की प्रति एकड़ न्यूनतम दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाए।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है।
6	7.31	ग्राम पंचायतों की स्वयं की भूमि को पट्टे पर देकर अतिरिक्त आय प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार को आवश्यक नियम बनाने चाहिए। इसके साथ ही ग्रामों में उपलब्ध पड़त भूमि को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने पर विचार किया जाना चाहिए।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है। इस संबंध में पूर्व का अनुभव ठीक नहीं है। अतः जमीन पट्टे पर देना उचित नहीं है।
7.	8.4	रेत उत्खनन पर फिर से रायल्टी लगाने पर विचार किया जाना उचित होगा तथा इस शीर्ष में प्राप्त शुद्ध आगम संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जाए।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है।
8	8.4	अनुसूचित क्षेत्र में लघु वनोपज से प्राप्त आय का कुछ भाग पेसा (PESA) के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिए।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है। लघु वनोपज से प्राप्त आय सीधे संग्राहकों को प्राप्त हो रही है।
9	8.7	राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के लिए प्रवर्तित की गई चार योजनाएं तथा एक जनपद पंचायत के लिए योजना का क्षेत्र कई मामलों में एक समान है।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है। वर्तमान व्यवस्था यथावत रखी जाए।

		इन चारों योजनाओं को एक या अधिक से अधिक दो योजनाओं में समाहित कर दिया जाए। एक योजना ग्रामीण अधोसंरचना के लिए और दूसरी गांवों में बुनियादी सेवा प्रदाय करने के लिए होनी चाहिए।	
10	8.10	ग्राम पंचायतों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित योजनाओं के लिए वित्तीय प्रावधान राज्य वित्त आयोग के अंतरण का हिस्सा नहीं होना चाहिए। यह इससे अलग होना चाहिए। राज्य वित्त आयोग के अंतरण का उपयोग इन योजनाओं के लिए नहीं होना चाहिए।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है। राज्य प्रवर्तित योजनाओं के द्वारा ग्राम पंचायतों को उनकी मांग/आवश्यकता के अनुसार ही अधोसंरचना/ मूलभूत विकास कार्यों के लिए राशि दी जाती है।
11	8.16	ग्राम पंचायतों को प्रदूषणकारी उद्योगों (जैसे स्टोन क्रशरों) पर अर्थ दण्ड लगाने और इससे प्राप्त धन राशि का व्यय उद्योगों द्वारा की गई क्षति को सुधारने हेतु करने का कानूनी अधिकार दिया जाए। भारी भरकम गाड़ियों की आवाजाही से ग्रामीण सड़कों की क्षति के कारण मरम्मत की जिम्मेदारी संबंधित उद्योगों को सौंपी जाए अथवा उसके बदले में ग्राम पंचायतों को अनुरक्षण के लिए आवश्यक धन राशि उपलब्ध कराई जाए।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है।
12	10.13	ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायतों के लिए विशेष रूप से निर्धारित सभी अनुदान जिला पंचायतों को मात्र सूचना देते हुए सीधे जनपद पंचायतों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। जनपद पंचायतें अपने-अपने क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को उनके लिए निर्धारित अनुदान बिना किसी विलंब के वितरित कर सकती हैं।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है।
13	11.11	नगर पंचायतों का गठन केवल दस हजार या इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में। तीस हजार या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगर में नगर पालिका परिषद तथा दो लाख अथवा इससे अधिक आबादी वाले नगर में नगर पालिक निगम का गठन होना चाहिए। वर्तमान में जिन 76 नगर पंचायतों की जनसंख्या 10 हजार से कम है, उन्हें फिर से ग्राम पंचायत के रूप में वर्गीकृत किए जाने का विकल्प दिया जा सकता है।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है। जो नगर पंचायतें बन चुकी है, उनको वापस ग्राम पंचायत नहीं बनाया जाएगा।
14	11.12	दुर्ग और भिलाई नगर पालिक निगमों को मिलाकर एक संयुक्त दुर्ग भिलाई नगर पालिक निगम बनाया जाना अधिक उपयोगी एवं उपयुक्त होगा।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है।
15	12.15	नगरीय निकाय में कर्मचारियों की भर्ती के लिए राज्य शासन को अलग से नगरीय निकाय भर्ती बोर्ड बनाने पर विचार करना चाहिए। इस हेतु आवश्यक कानून बनाया जाना चाहिए।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है। पृथक भर्ती बोर्ड बनाए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।
		छत्तीसगढ़ नगर पालिका परिषद राजस्व नियामक आयोग के कर्तव्यों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाना चाहिए-	

	14.15	छूट प्राप्त सम्पत्तियों का सर्वेक्षण करके छूट के दावों का मूल्यांकन करें।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है। यह नगरीय निकाय का ही दायित्व है।
	14.15	सम्पत्तियों का सर्वेक्षण करके अमूल्यांकित एवं अर्द्ध मूल्यांकित सम्पत्तियों को सम्पत्ति कर की परिधि में लाएं।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है। यह नगरीय निकाय का ही दायित्व है।
	14.20	सम्पत्ति कर सहित नगर पालिकाओं के समस्त अभिलेखों का समुचित रूप से रख रखाव सुनिश्चित करने के लिए समुचित व्यवस्था तंत्र विकसित करें।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है। यह नगरीय निकाय का ही दायित्व है। नियामक आयोग कभी भी इन अभिलेखों को प्राप्त कर सकता है व इनका सही संधारण नहीं होने पर उचित आदेश जारी कर सकता है।
	14.41	दुकानों का किराया निर्धारण, उनके सामाजिक पुनरीक्षण तथा संग्रहण के लिए दिशा-निर्देश जारी करें, और	अनुशंसा को अमान्य किया गया है। यह नगरीय निकाय का ही दायित्व है।
16	14.12	राज्य में यूनिट एरिया पर आधारित सम्पत्ति कर व्यवस्था लागू की जाए।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है।
17	14.25	सम्पत्ति कर की न्यूनतम वार्षिक दर नगर पंचायत क्षेत्र में रूपये 50, नगर पालिका परिषद परिषद क्षेत्र में रूपये 100 तथा नगर पालिक निगम क्षेत्र में रूपये 150 निर्धारित की जाए। इसे प्रभावशील करने के लिए नगर पालिका परिषद अधिनियमों में संशोधन किए जाने चाहिए।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है।
18	14.26	सम्पत्ति कर के मूल्यांकन, आरोपण और संग्रहण को बेहतर बनाने के लिए स्व निर्धारण प्रणाली को समाप्त किया जाए अथवा स्व निर्धारण फार्म का दो माह की अवधि में सत्यापन कराकर डिमांड नोटिस जारी किया जाए। सम्पत्ति कर अर्द्धवार्षिक आधार पर दो समान किश्तों में वसूल किया जाए। विलंबित भुगतान के लिए 20 प्रतिशत की वार्षिक दर से दण्डात्मक ब्याज लिया जाए। सम्पत्ति कर संग्रहण की क्षमता में सुधार हेतु बैंकों, क्रेडिट/डेबिट कार्ड के द्वारा सम्पत्ति कर भुगतान, संग्रहण हेतु आऊटसोर्सिंग की व्यवस्था, निश्चित समय में भुगतान के लिए प्रोत्साहन तथा कर संग्राहकों को प्रोत्साहन आदि कदम उठाए जाना आवश्यक है।	"स्व निर्धारण" प्रणाली को समाप्त करने संबंधी आयोग की अनुशंसा को अमान्य किया गया है। यह एक प्रगतिशील सुधार है।
19	14.31	समेकित कर के तीन घटक करों की इस समय अलग-अलग वसूली की जाती है इस पद्धति को बदलकर इन्हें मिलाकर इसे सम्पत्ति कर का एक निश्चित प्रतिशत बना दिया जाए।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है।
20	14.39	बाजार शुल्क की उगाही पूरी तरह बन्द कर दी जाए। यदि संभव नहीं हो तो इसकी संग्रहण पद्धति में सुधार किया जाए तथा इस पर उचित पर्यवेक्षण हो। इसके लिए बाजार कर लगाए जाने के स्थानों और वसूली करने वालों के बारे में कम्प्यूटरीकृत विवरण रखा जाए।	बाजार शुल्क की उगाही पूरी तरह बन्द करने की अनुशंसा को अमान्य किया गया है। बाजार कर की वसूली निगम द्वारा स्वयं अथवा महिला स्व-सहायता समूह के माध्यम से की जाएगी।

21	14.42	नल कनेक्शन के मामले में आयकर देने वालों और आय कर नहीं देने वालों का अंतर समाप्त कर दिया जाए तथा सभी लोगों से यह शुल्क समान रूप से लिया जाए।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है।
22	14.55	वित्तीय बाजार से कर्ज लेने के लिए अपनी पात्रता प्रमाणित करने हेतु नगर निकायों को अपनी साख क्षमता (Credit rating) का निर्धारण कराना चाहिए।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है।
23	14.71	नगरीय निकायों में 'रेसिडेंट ऑडिट' व्यवस्था को पुनः लागू किया जाना चाहिए तथा इन संस्थाओं की लेखा व्यवस्था को अधिक सक्षम व सुदृढ़ बनाना चाहिए।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है।
24	14.79	वृत्ति कर राजस्व प्राप्ति का एक अच्छा स्रोत है। राज्य सरकार यह कर अधिरोपित करने के लिए कानून बनाने पर विचार कर सकती है। इस कर का सकल आगम स्थानीय निकायों को दिया जाए। इस स्रोत से प्रतिवर्ष रूपये 50 करोड़ प्राप्त होने की संभावना है।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है। राज्य शासन द्वारा वृत्ति कर समाप्त किया गया है, जिसे पुनः लागू किया जाना उचित नहीं होगा।
25	14.89	पार्षद निधि अधोसंरचना कोष के बजाए नगर पालिका परिषद बजट से दी जानी चाहिए।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है।
26	17.15	रायपुर नगर पालिक निगम तथा दुर्ग-भिलाई के एकीकृत नगरीय निकायों में मेट्रोपॉलिटन काउन्सिल का गठन किया जाए।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है। प्रदेश के प्रथम महानगर के रूप में बृहत् रायपुर का गठन उचित समय पर किया जाएगा।
27	17.22	नगरों में विकास के लिए बने नियम भवन उपविधियों तथा अन्य नियमों में इस प्रकार सुधार किया जाए कि भवन निर्माण की प्रक्रिया को समयबद्ध करने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.मॉडल) से अधोसंरचना निर्माण तथा नगरीय निकायों को नगर नियोजन से संबंद्ध करने में आसानी हो।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है।
28	18.16	आयोग की अनुशंसा है कि ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण के लिए प्रस्तावित सम्पूर्ण राशि उन्हें ग्रामों में प्रकाश व्यवस्था एवं विस्तार करने, नलों के जरिए पेयजल आपूर्ति और उसका विस्तार करने, ग्रामीण स्वच्छता तथा ग्राम पंचायतों की परिसम्पत्ति के अनुरक्षण के लिए अनाबद्ध (अनटाइड) रूप से प्रदान किया जाए। इसका उपयोग सामाजिक तथा राष्ट्रीय अभियानों के लिए भी किया जा सकता है।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर दी जा रही राशि वर्तमान व्यवस्थानुसार ही यथावत दी जाए।
29	18.20	नगरीय स्थानीय निकायों के लिए प्रस्तावित आबंटन अनाबद्ध (अनटाइड) होना चाहिए तथा इसका उपयोग वरीयतः अधोसंरचना और बुनियादी सेवाओं के लिए किया जाना चाहिए। इस धनराशि का उपयोग राज्य सरकार की योजनाओं के लिए नहीं किया जाना चाहिए।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग को राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर दी जा रही राशि वर्तमान व्यवस्थानुसार ही यथावत दी जाए।
30	18.21	पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों को अनाबद्ध (अनटाइड) रूप से कोषों के हस्तांतरण का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार यह	अनुशंसा को अमान्य किया गया है। पंचायत ग्रामीण विकास एवं नगरीय प्रशासन विभाग को राज्य वित्त आयोग को अनुशंसा पर दी जा रही राशि वर्तमान

		सुनिश्चित करे कि इस धनराशि का उपयोग हमारे द्वारा अनुशंसित प्रयोजनाओं के लिए किया जाए। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विस्तृत अनुदेश जारी किया जाना चाहिए।	व्यवस्थानुसार ही यथावत दी जाए।

निष्कर्ष :-

द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई 133 अनुशंसाओं में से राज्य शासन द्वारा 103 अनुशंसाओं को स्वीकार किया गया है। यह स्पष्ट है कि राज्य शासन द्वारा कुछ महत्वपूर्ण अनुशंसाओं को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार कर दिया गया है, जबकि राज्य शासन से यह अपेक्षा की जाती है कि अपवाद को छोड़कर वह राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को स्वीकार/लागू करें। यदि राज्य वित्त आयोग की कोई अनुशंसाएं परिस्थिति/आवश्यकता/नियम-कानून/प्रक्रिया में परिवर्तन के कारण स्वीकार करने योग्य नहीं हैं, तो कृत कार्यवाही प्रतिवेदन में कारण सहित उसका उल्लेख करना चाहिए, जिससे वित्त आयोग की अनुशंसाओं की स्वीकार्यता की वस्तुस्थिति की जानकारी माननीय विधान सभा के सदस्यों को भी हो सके।

संबधित विभागों से प्राप्त पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि संबधित प्रमुख तीन विभागों यथा 1- वित्त 2- पंचायत एवं ग्रामीण विकास 3- नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा आयोग की अनुशंसाओं पर न तो गंभीरता से कार्यवाही की गई है और न ही इन विभागों द्वारा ऐसा करने का कोई कारण दर्शाया गया है। पालन प्रतिवेदन की अनेक कंडिकाओं के उत्तर अपूर्ण हैं एवं वांछित जानकारी प्रदान नहीं की गई है। जबकि इन तीनो विभागों में अलग से वित्त आयोग प्रकोष्ठ का गठन कर आवश्यक अमला उपलब्ध कराया गया है। इन विभागों ने द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई अधिकांश महत्वपूर्ण अनुसंशाएं जिन्हें राज्य शासन ने वर्ष 2013, जुलाई में स्वीकार कर लिया था, पर पांच वर्ष हो जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की है।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा क्रमांक 7.31 पर मछली पालन विभाग ने निम्नानुसार पालन प्रतिवेदन भेजा है:- *"विभागीय प्रस्ताव पर समन्वय में यह निर्णय लिया गया कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अवधि 2012-17 समाप्ति पर है, अतः नये वित्त आयोग के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर विचार किया जाए।"*

यह बताता है कि विभाग ने द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के पालन में पाँच वर्षों तक कोई कार्यवाही नहीं की और अब अगले वित्त आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।